रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD NO. D L-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 584] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 6, 2000/भाद्र 15, 1922

No. 584] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 6, 2000/BHADRA 15, 1922

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2000

का.आ. 807(अ).— केंद्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 301, तारीख 27 फरवरी, 1971 का और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,

(i) मद संख्यांक (xiv) से (xviii) (जिसमें ये दोनों भी सम्मिलित हैं) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद संख्यांक और प्रविष्टियां क्रमशः रखी जाएंगी, अर्थात् :-

धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (xiv) के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्य	(अवधि जिसके लिए नाम निर्दिष्ट किया गया है)
(xiv) श्री पी॰ एन॰ माजी, संयुक्त औद्योगिक सलाहकार रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायण विभाग)	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए)
धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (xv) के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्य	
(xv) डा० (श्रीमती) एस॰ बी॰ लाल, अपर आचार्य, भेषज विज्ञान विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए)
धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (xvi) के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्य	

(xvi) रिक्त

धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (xvii) के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्य	
(xvii) निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं गुजरात सरकार ।	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए)
धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (xviii) के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्य	
(xviii) (क) कृषि निदेशक, कर्नाटक सरकार (ख) कृषि निदेशक, हरियाणा सरकार	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए) (इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए)

(2) मद संख्यांक (xix) (ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"(xix) (ख) निदेशक, राष्ट्रीय व्यवसाय स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद ।	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए)

(3) मद संख्यांक (xx) और (xxi) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद संख्यांक और प्रविष्टियां क्रमशः रखी जाएंगी, अर्थात् :-

धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (xx) के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्य	
(xx) डा0 के0 वी0 राघवन, निदेशक, भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान उप्पल रोड, हैदराबाद ।	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए)
धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (xxi) के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्य	
(xxi) डा0 आर0आर0 खान निदेशक, पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार ।	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए)

[फा. सं. 19-1/2000-पीपी. II]

पी. डी. सुधाकर, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना 27 फरवरी, 1971 के सा0का0नि0 301 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और बाद में उसमें निम्नलिखित के द्वारा संशोधन किए गए :-

(i) सा0का0नि0 1216 दिनांक 19 अगस्त, 1971
(ii) सा0का0नि0 478(अ) दिनांक 10 अगस्त, 1976
(iii) एस0ओ0 848(अ) दिनांक 25 अगस्त, 1989
(iv) एस0ओ0 528(अ) दिनांक 19 जुलाई, 1993
(v) एस0ओ0 849(अ) दिनांक 20 अक्टूबर, 1995
(vi) एस0ओ0 346(अ) दिनांक 24 अप्रैल, 1997
(vii) एस0ओ0 70(अ) दिनांक 20 जनवरी, 1998
(viii) एस0ओ0 132(अ) दिनांक 24 फरवरी, 1999

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2000

S.O. 807(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby further amends the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation number GSR 301, dated, the 27th February, 1971, namely:-

In the said notification, -

(1) for item numbers (xiv) to (xviii) (both inclusive), and the entries relating there-to, the following item numbers and entries shall respectively be substituted, namely:-

	(Period upto which nominated)
Member nominated under clause (xiv) of sub-section (3) of section 4:	
" (xiv) Shri P.N. Maji, Joint Industrial Adviser. Ministry of Chemicals and Fertilisers (Department of Chemicals and Petro-chemicals).	(For a period of 3 years with effect from the date of publication of this notification)
Member nominated under clause (xv) of sub-section (3) of section 4:	
(xv) Dr. (Mrs.) S.B. Lal Additional Professor Department of Pharmacology All India Institute of Medical Sciences.	(For a period of 3 years with effect from the date of publication of this notification)
Member nominated under clause (xvi) of sub-section (3) of section 4 :	
(xvi) Vacant	
Member nominated under clause (xvii) of sub-section (3) of section 4:	
(xvii) Director of Health Services Government of Gujarat.	(For a period of 3 years with effect from the date of publication of this notification)
Members nominated under clause (xviii) of sub-section (3) of section 4:	
(xviii) (a) Director of Agriculture Government of Karnataka	(For a period of 3 years with effect from the date of publication of this notification)

IndiaCode

(b) Director of Agriculture Government of Haryana.	(For a period of 3 years with Effect from the date of publication of this notification)";

(2) for item number (xix)(b) and the entries relating thereto, the following item number and entries shall be substituted, namely:-

Member nominated under clause (xix) (b) of sub-section (3) of section 4 :

" (xix) (b) Director National Institute of Occupational Health, Ahmedabad.	(For a period of 3 years with effect from the date of publication of this

(3) for item numbers (xx) and (xxi) and the entries relating thereto, the following item numbers and entries shall respectively be substituted, namely:-

Member nominated under clause (xx) of sub-section (3) of section 4

"(xx) Dr. K.V. Raghavan, Director, Indian Institute of Chemicals Technology, Uppal Road, Hyderabad.	(For a period of 3 years with effect from the date of publication of this notification)

Member nominated under clause(xxi) of sub-section (3) of section 4:

(xxi) Dr. R.R. Khan, Director, Ministry of Environment and Forests Government of India	(For a period of 3 years with effect from the date of publication of this notification)."

[F. No. 19-1/2000-PP.I]

P. D. SUDHAKAR, Jt. Secy.

Note :—The principal notification was published in the Gazette of India vide number G.S.R. 301, dated 27th February, 1971 and subsequently amended vide—

(i) G.S.R. 1216 dated the 19th August, 1971.

(ii) G.S.R. 478(E) dated the 10th August, 1976.

(iii) S.O. 848(E) dated the 25th October, 1989.

(iv) S.O. 528(E) dated the 19th July, 1993.

(v) S.O. 849(E) dated the 20th October, 1995.

(vi) S.O. 346(E) dated the 24th April, 1997.

(vii) S.O. 70(E) dated the 20th January, 1998.

(viii) S.O. 132(E) dated the 24th February, 1999.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.